संख्या-567/22-4-13-48(2)/10 टी0सी0

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक- 05 जून, 2013

विषयः- जिला कारागार, आगरा में आवासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6815/नम-1/116, दिनांक22.02.2013 एवं पत्र संख्या-12197/नम-1/116, दिनांक17.4.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-172/22-4-11-48(2)/10टी0सी0, दिनांक 15.02.2011 द्वारा जिला कारागार, आगरा में टाइप-4 के 02 एवं टाइप-3 के 02 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रू0-55,45,000/- (रूपये पचपन लाख पैंतालिस हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रू0-27,00,000/- (रूपये सत्ताइस लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासनादेश संख्या-2314/22-4-11-48(2)/10टी0सी0, दिनांक-30.9.2011 द्वारा अवशेष धनराशि रू0-28,45,000/- (रूपये अट्ठाइस लाख पैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। आपके पत्र संख्या-19315/नम-1(116) दिनांक-9.8.2012 में किये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग की दरें दिनांक-01.11.2011 से पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, आगरा में टाइप-4 के 02 एवं टाइप-3 के 02 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन रू0 30,85,000/- पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष (2013-14) में रू0-3,40,000/-(रूपया तीन लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक, कारागार एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक, कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 30.06.13 तक कर लिया जायेगा।

.....2

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी काय/मद में किया जायेगा।

(7) महानिरीक्षक, कारागार यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(8) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी।

(9) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(10) अग्रेतर भविष्य में पुनः पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03- कारागार स्टाफ के लिये भवनों का निर्माण-24-बृहत् निर्माण कार्य के मद में डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12-1031/दस-2013, दिनांक 30 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-567(1)/22-4-2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, आगरा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
अनु सचिव।